

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2610

दिनांक 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

सीएपीएफ में साइबर अपराध अवसंरचना का आधुनिकीकरण

2610. श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की फोरेंसिक और साइबर अपराध अवसंरचना के आधुनिकीकरण हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और उससे संबद्ध साइबर धोखाधड़ी निवारण केंद्रों के अंतर्गत स्थापित अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में अब तक कितने जिलों में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ तैनात की गई हैं और उक्त प्रयोगशालाओं से आपराधिक जाँच में किस प्रकार सहायता मिल रही हैं; और
- (घ) आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन प्रणालियों के एकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है और आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। फोरेंसिक और साइबर अपराध जाँच क्षमताओं को मजबूत करना एक सतत प्रक्रिया है, जो सीएपीएफ सहित विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आवश्यकतानुसार की जाती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।
- ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (<https://cybercrime.gov.in>) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।
- iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।
- iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
- v. अभी तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,63,348 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।
- vi. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' योजना के तहत वित्तीय सहायता

प्रदान की है। 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के 24,600 से अधिक कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

vii. आई4सी, गृह मंत्रालय सर्वोच्च प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।

viii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जॉच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 12,460 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जॉच) ने राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

ix. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 1,05,796 से अधिक पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 82,704 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

x. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 10,599 आरोपियों की गिरफ्तारी, 26,096 लिंकेज और 63,019 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

xi. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

xii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं:-

- 1) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" के एपिसोड के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।
- 2) दिनांक 28.10.2024 को डिजिटल गिरफ्तारी पर आकाशवाणी, नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- 3) कॉलर ट्यून अभियान: आई4सी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। कॉलर ट्यून के छह संस्करण बजाए गए, जिनमें विभिन्न कार्यप्रणालियां, जैसे डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश घोटाला, मैलवेयर, फर्जी लोन ऐप, फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापन, आदि शामिल थे।
- 4) केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उद्घोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान और दिनांक 27.10.2024 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में राहगिरी समारोह में भागीदारी आदि शामिल हैं।
- 5) केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्रिटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव (MyGov) का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन आदि शामिल हैं।

(ग): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में 605 जिला मोबाइल इकाइयां/प्रयोगशालाएं हैं, ये प्रयोगशालाएं मौके पर जांच और साक्ष्य के संरक्षण की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे जांच प्रक्रिया में सहायता मिलती है।

(घ): इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS), स्तंभों के बीच सूचना के निर्बाध हस्तांतरण, डेटा प्रविष्टि में त्रुटियों को कम करके डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने, जांच में प्रभावशीलता और समयबद्धता बढ़ाने, और डेटा विश्लेषण के प्रभावी उपयोग को सक्षम करने के लिए, स्टैंड-अलोन आईटी प्रणालियों (अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस), ई-फोरेंसिक, ई-प्रॉसिक्यूशन, ई- कोर्ट और ई-प्रिजन) के एकीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है।

जून 2025 तक, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 17,712 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस, 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में ई-फोरेंसिक, 751 अभियोजन जिलों में ई-प्रॉसिक्यूशन, 3,637 न्यायालय परिसरों में ई- कोर्ट और 1,373 कारागारों में ई-प्रिजन लागू किए जा चुके हैं।

प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट दिनांक 01.06.2025 के अनुसार, सीसीटीएनएस स्तंभ का अग्र- एकीकरण ई-कारागार, ई-अभियोजन, ई-फोरेंसिक और ई- न्यायालय अनुप्रयोगों के साथ क्रमशः 32, 28, 32 और 35 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा कर लिया गया है, और इसके विपरीत, स्तंभ अनुप्रयोगों जैसे ई-प्रिजन, ई-प्रॉसिक्यूशन, ई-फोरेंसिक और ई- कोर्ट से सीसीटीएनएस के साथ पश्च एकीकरण क्रमशः 30, 26, 30 और 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण हो चुका है।
